न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरु
पीठासीन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2018/00076 दायर दिनांकः 18.07.2018

1. रामेश्वर पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी गांव पाटमदेसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. बिंझाराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी गांव पाटमदेसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू –अपीलांट्स–

बनाम

1. ग्राम पंचायत अड़सीसर जरिये सरपंच अड़सीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. तिलोकाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गांव पाटमदेसर, तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. बीरबलराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी गांव बंधनाऊ उतरादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

–रेस्पोडेंट्स–

अपील बनाराजगी आदेश ग्राम अड़सीसर दिनांक 23.10.2017 व 30.10.2017 अंतर्गत धारा 251 रा.का.अधि. 1955

उपस्थितः– 1. श्री भीमनाथ सिद्ध, श्री भागीरथ सिद्ध एडवोकेट्स वास्ते अपीलांट्स
2. श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट वास्ते रेस्पोन्डेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 20.09.2018

यह अपील न्यायालय, जिला कलक्टर चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 18.07.2018 को दर्ज रजिस्टर ऑनलाईन की गई। अपीलांट्स की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

1. अपीलांट्स के खातेदारी के खेत ख.नं. 86 व 56 रोही गांव पाटमदेसर में से एक कटानी रास्ता गांव पाटमदेसर से लाखनसर को गुजरता है। इस कटानी रास्ता के अलावा अपीलांट्स के इस खेत में से कभी कोई पगडंडी या रास्ता किसी का कभी नहीं रहा और ना ही वर्तमान में मौजूद है। रेस्पो0 सं. 02 व 03 ने तथा उनसे पूर्व के खातेदारों ने अपीलांट्स की इस खातेदारी के खते में से कभी कोई आवागमन नहीं किया और ना ही कभी कोई आवागमन रहा। परंतु ग्राम पंचायत ने इन समस्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर गांव की स्थानीय पार्टीबाजी की वजह से अपीलांट्स के खिलाफ मनमाना आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त योग्य है।
2. रेस्पो0 सं. 02 व 03 ने आज से करीब 3 वर्ष पूर्व खेत खरीद किया जो राजगढ़ के नरसीराम से खरीद किया है। जो हमेंशा ख.नं. 95 व 94 उसके बाद ख.नं. 89 की उत्तरी सींव से फंटकर वर्तमान में ख.नं. 87 में प्रवेश करते है और यही रास्ता सदामद का रहा है तथा ख.नं. 89 से आगे ख.नं. 88 के खातेदार लेखराम आगे अपने खेत में इसी रास्ता से आवागमन करता है परंतु ग्राम पंचायत मातहत ने इसी रास्ता का न मौका दिखाया। यह रास्ता वर्तमान में आवागमन के लिए उपलब्ध है। और रास्ता चालू है। परंतु रेस्पो0 सं. 02 तिलोकाराम के परिवार में भतीजा लालचंद जो वर्तमान में जिला परिषद का सदस्य है जो अपीलांट्स के साथ राजनैतिक द्वेषता रखता है। इसलिए वर्तमान सरपंच को प्रभावित कर अपीलांट्स के विरूद्ध वास्तविक तथ्यों के विपरीत एवं कानून के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।
3. ग्राम पंचायत ने अपने आदेश व निर्णय में जिस मौका निरीक्षण रिपोर्ट का उल्लेख कर उस पर विश्वास करते हुए निर्णय पारित किया है उस में मौका निरीक्षण करने से पले अपीलांट्स को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना अपीलांट्स की मौजूदगी में मौका का निरीक्षण किया गया मौका निनरीक्षण कमेटी के तीनों ही पंच गांव पाटमदेसर के निवासीगण नहीं है। इस प्रकार राजनैतिक द्वेषता एवं पार्टीबाजी के कारण अपने चहेते पंचों को मौका निरीक्षण कमेटी में नियुक्त कर अपने पक्ष में मनमाफिक रिपोर्ट करवाई है।
4. ग्राम पंचायत ने वादगत रास्ता बाबत् निर्णय एवं आदेश पारित करने से पहले अपीलांट्स को विध्यानुसार कोई नोटिस नहीं दिया गया न कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया गया बल्कि मनमर्जी से आदेश पारित कर दिया कि खेत का रास्ता तुरंत खोलकर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आपके

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

WEB COPY

खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। कानून के विपरीत आदेश पारित करने का ग्राम पंचायत के पास कानून में कोई अधिकार नहीं है।

5. दिनांक 09.07.2018 को तहसीलदार सरदारशहर पटवारी हल्का ग्राम सेवक एवं वर्तमान सरपंच पूजा कंवर के ससुर समुन्द्रसिंह तथा पुलिस प्रशासन अपीलांट्स के खेत में गये और कहा कि आपके विरूद्ध आपके खेत में से रास्ता खुलवाने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय पारित किया हुआ है। जिसकी हम पालना करेंगे। इस बाबत् रिकॉर्ड्स की नकल निकलवाने का आवेदन किया गया तो अपीलांट्स को संपूर्ण रिकॉर्ड की नकल नहीं दी गई और केवल आदेश दिनांक 30.10.2017 की नकल दी गई। इसलिए यह अपील नोटिस दिनांक 30.10.2017 के विरूद्ध बिना नकल निर्णय के प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत के निर्णय की नकल न्यायालय के द्वारा पत्रावली तलब करने पर प्राप्त कर प्रस्तुत की गई। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र अलग से पेश किये गये।

6. अपील–अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत अड़सीसर तहसील सरदारशहर का आदेश दिनांक 30.10.2017 का या अन्य कोई आदेश जिसके द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध इस रास्ता बाबत् कोई निर्णय पारित किया उसको निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सं. 01 ता 03 की ओर से अधिवक्ता बजरंगलाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत अड़सीसर से मूल पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील अंदरमियाद समायोजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है। यह अपील ग्राम पंचायत अड़सीसर के आदेश दिनांक 23.10.2017 का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 09.07.2018 को हुआ। अपीलांट्स को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सिर्फ नोटिस दिनांक 30.10.2017 की ही नकल दी गई। अतः अपील को अंदरमियाद संयोजित की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं तर्कों के संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये (1) RRD 1971 page 8 (2) RRD 1996 page 457 (3) RRD 1994 page 604 (4) RRD 1992 page 118। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने जवाब मियाद प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अपीलांट ने प्रतिदिन देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। रजिस्टर्ड नोटिस रामेश्वरलाल व बींझाराम अपीलांट्स को 31.10.2017 को डिलीवर होने का अंकन प्रार्थना–पत्र प्रभारी अधिकारी मुख्य डाकघर सरदारशहर का पेश किया है। मगर उक्त नोटिस किसको डिलीवर हुए इस बारे में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। इसलिए अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे।

अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि यह अपील ग्राम पंचायत अड़सीसर के निर्णय दिनांक 23.10.2017 के खिलाफ अंतर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955 पेश की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मूल रूप से रास्ता विवाद में अवरूद्ध रास्ता खुलवाने का अधिकार तहसीलदार को है। दिनांक 04.09.1982 की अधिसूचना के आधार पर ये अधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायतों को दिये गये थे। दिनांक 06.07.2009 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 को rescind कर दिया गया है। इसलिए अब ग्राम पंचायतों को धारा 251 के अधिकार प्राप्त नहीं है। इन तर्कों के संबंध में अपीलांट अधिवक्ता ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं (1) 2018 (1) RRT page 118 (2) RRD 1988 page 128 (3) RRD 1990 page 175

अपीलांट्स को निर्णय दिनांक 23.10.2017 की कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें निर्णय के बारे में पता चला तो उन्होंने ग्राम पंचायत में निर्णय संबंधी नकल लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। लेकिन ग्राम पंचायत अड़सीसर ने नकलें नहीं दी। तत्पश्चात विकास अधिकारी, पं.स. सरदारशहर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। तो उन्हें निर्णय दिनांक 23.10.2017 की नकल के बजाय सिर्फ नोटिस दिनांक 30.10.2017 की ही नकलें दी गई। अपीलांट्स अधिवक्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत अड़सीसर द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रावली में कोई निर्णय उपलब्ध नहीं है। मूल पत्रावली में कोई फर्द अहकाम (Order Sheet) और ना ही कोई प्रकरण संख्या दर्ज है। ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स को दिनांक 02.10.2017 को नोटिस दिया गया जिसका जवाब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 06.10.2017 को दिया गया।

WEB COPY

अतिरिक्त जिला कलक्टर

ग्राम पंचायत द्वारा तीन व्यक्तियों को मौका निरीक्षक नियुक्त कर मौका निरीक्षण करवाया गया। उक्त तीनों ही व्यक्ति ग्राम पाटमदेसर के नहीं थे। मौका निरीक्षण के समय पर अपीलांट्स को मौका निरीक्षण बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई। दिनांक 09.07.2018 की मौका रिपोर्ट, मूल पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

ग्रा.पं. द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर को अतिक्रमण हटवाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया। इस बाबत् उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर ने थानाधिकारी, पुलिस थाना सरदारशहर को पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा। उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर ने भी बिना पूर्ण जांच के पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु थानाधिकारी को लिखा। मौका पर्चा दिनांक 24.07.2018 में अपीलांट रामेश्वर के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। अवरूद्ध रास्ते को खुलवाने का निर्णय दिनांक 23.10.2017 को हो चुका था। इसके उपरान्त तृतीय एवं अंतिम नोटिस रास्ता खोले जाने बाबत् दिनांक 30.10.2017 को दिया गया है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए अपील–अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम पंचायत अडसीसर के दिनांक 23.10.2017 के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स ने अपील मियाद बाहर दिनांक 13.07.2018 को पेश की है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा 30.10.2017 को नोटिस जारी कर दिये गये थे जो कि दिनांक 31.10.2017 को अपीलांट के पास डिलीवर हो चुके थे। तथ्यों की पुष्टि में पोस्ट ऑफिस सरदारशहर की डिलीवरी रिपोर्ट संलग्न है। डिलीवरी रिपोर्ट की सूचना रेस्पो0 सं. 02 तिलोकाराम द्वारा मांगी गई थी। अपीलांट को प्रेषित नोटिस की रजिस्ट्री रसीद ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली में संलग्न है। पत्राचार के सभी पत्र पत्रावली का हिस्सा हो यह जरूरी नहीं है। यह अपील मियाद के तथ्यों के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट्स को प्रकरण की बारे में जानकारी थी क्योंकि उन्होंने दिनांक 06.10.2017 को जवाब पेश कर दिया था। इस जवाब में ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। पंचों की कमेटी में उक्त तीनों व्यक्ति गांव के पंच नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। इन पंचों की रिपोर्ट में रेस्पोडेंन्ट का भी हवाला नहीं है। पंचों द्वारा स्वतंत्र जांच की गई है।

दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत शपथ–पत्र पूर्व खातेदारों द्वारा लिखित है। ख.नं. 94 व 89 के खातेदारों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कानून के विशेष ज्ञाता नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता ने कहा कि ग्राम पंचायत की संपूर्ण पत्रावली में फर्द अहकाम से ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यवाही रजिस्टर है। इस कार्यवाही रजिस्टर में निर्णय दिनांक 23.10.2017 पर ग्राम पाटमदेसर के पंचों के हस्ताक्षर भी है। निर्णयोपरान्त उपखण्ड अधिकारी ने अतिक्रमण हटवाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाये हैं। लेकिन पंचायत के निर्णय को जांचने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। पंचायत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 24.07.2018 मौका रिपोर्ट में रास्ता निकालने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था न कि एकपक्षीय था। इस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया है। इसलिए अपील–अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की बहस एवं तर्कों पर मनन किया गया। अपील अंदरमियाद है या नहीं इस बारे में यह निर्णय किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत अड़सीसर ने निर्णय दिनांक 23.10.2017 को सर्वसम्मति से दिया गया है जिसका कार्यवाही रजिस्टर मूल में अंकन है। उक्त निर्णय ग्राम पंचायत अड़सीसर का क्षेत्राधिकार में पारित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत को रास्ता विवाद के निर्णय 45 दिन में करने का अधिकार 04.09.1982 को दिया गया था। उक्त अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना No.F.3(2)Rev-VI/2003/pt/18 Dated 06-07-2009 जो गजट में दिनांक 14.07.2009 को प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात ग्राम पंचायत को धारा 251 रा.का.अधि. की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। इस संबंध में अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने (1) RRD 1971 page 8 (2) RRD 1996 page 457 (3) RRD 1994 page 604 (4) RRD 1992 page 118 आदि न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। इन न्यायिक दृष्टान्तों के

WEB COPY

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिना क्षेत्राधिकार के बाहर Ab initio void निर्णय पारित किया जाता है तो उसमें मियाद का बिन्दु कभी भी लागू नहीं होता है।

रा.का.अधि. में रास्ता विवाद संबंधी प्रकरणों की सुनवाई ग्राम पंचायतों द्वारा करने का अधिकार No.F.3(2)Rev-VI/2003/pt/18 Dated 06-07-2009 द्वारा समाप्त (rescinds) कर दिये गये। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2017 ग्राम पंचायत अड़सीसर तहसील सरदारशहर द्वारा रास्ता विवाद का निर्णय दिनांक 23.10.2017 को पारित किया है। इस प्रकार दिनांक 06.07.2009 के पश्चात ग्राम पंचायत को धारा 251 रा.का.अधिनियम की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। धारा 251 रा.का.अधि. का प्रकरण संक्षिप्त कार्यवाही है जिसे दावे की तरह निर्णित नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत अड़सीसर द्वारा धारा 251 के तहत् रास्ते विवाद का निर्णय दिनांक 23.10.2017 अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। प्रकरण के अन्य पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अपील–अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत अड़सीसर तहसील सरदारशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 अपास्त किया जाता है। संबंधित पक्षकार को रास्ता बाबत् अनुतोष प्राप्त करना हो तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

WEB COPY